







# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

मुकदमा	बनाम	पत्रावली संख्या	सन
तारीख हुकम	कार्यवाही विवरण		हस्ताक्षर पार्टी
25.9.24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते बरस दिनांक 27/9/2024 को पेश हो। 		
27.9.24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते बरस दिनांक 4/10/24 को पेश हो। 		
4.10.24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते बरस दिनांक 22/10/24 को पेश हो। 		नागामाल श्रीकामाम
22/11/2024	पत्रावली पेश हुई वादीगण उपरिधत वादी अधिवक्ता उपरिधत श्रीमान पीठासीन अधिकारी महो. वि.सं. 3 युगाव 2024 में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो। 		श्रीकामाम नागामाल श्रीकामाम नागामाल
29/11/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते बरस दिनांक 6/12/24 को पेश हो। 		
6/12/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता प्राची श्री पुष्कर लाल मीणा उपरिधत अधिवक्ता अनुपरिधत, प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से अधिवक्ता प्राची की एक तरफा बरस चुनी गई, अधिवक्ता प्राची		श्रीकामाम नागामाल

परीक्षण  
साक्षात्कार  
नि. नोड्स

ने अपनी बहस में निवेदन किया की मंज  
कालीभीत 42 नगर सख्या कालीभीत, भू. अ.  
निरीक्षण कालीभीत के खाना संख्या (नया)  
279 (पुराना) 271 में वर्गीत आराजी 1013/2,  
1131/2, 1154/2 कित 03 कुल खंबा 0.7884  
है व मंज मनावपुरा 42 नगर सख्या कालीभीत  
में वर्गीत आराजी 1674/2, कित 01 खंबा  
1.4364 है तथा खाना सं. 192 (नया) व  
पुराना (179) में वर्गीत आराजी 1253/2, 1254/2  
1255/2, 1257/2, 1259/2, 1268/2, 1269/2, 1345/2  
1368/2, 1372/2, 1375/1, 1617/18, 1621/2,  
1623/2, 1677/2, 1681/2, 1693/2, 1694/1,  
1702/2, 1704/2, कित 20 कुल खंबा 9.7956 है  
स्थित है जो की प्राधी व अप्राधी की संयुक्त  
खालेदारी भूमि है। विपक्षीय संयुक्त खालेदारी  
भूमि को विक्रम करने की निमत से  
सम्पूर्ण संयुक्त भूमि पर कब्जा किया जा  
रहा है। प्राधी द्वारा अप्राधी को उक्त कृत्य  
करने से मना किया गया परन्तु अप्राधी को की  
संख्या ज्यादा होने व अपनी ताकत के बल  
पर प्राधी के साथ मारपीत करने को उत्तम  
है अप्राधी को उक्त कृत्य करने से नही रोका  
गया जो प्राधी को अपूरणीय क्षती होने की संभावना  
है। अतः प्राधी अधिवक्ता अपनी अनिम बहस  
के अन्त में अप्राधी को उक्त कृत्य करने से  
रोकने के लिए की भया निष्पत्ति बन्ने रखने तथा  
उक्त भूमि को बेचान, रपुर्द-रुर्द नष्टी करने  
वास्तु स्थार्ड निवेदाज्ञा जारी कर माये जाने  
का निवेदन किया गया, हमने प्राधी अधिवक्ता  
की अन्त तरफा बहस पर मगन किया एवं  
प्राधी का हाव लोकात किया मंज कालीभीत  
की जमाबन्दी संख्या 2015-78 के खाना संख्या  
(नया) 279 (पुराना) 271 में वर्गीत आराजी 1013/2,  
1131/2 1154/2 कित 03 कुल खंबा 0.7884 है

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

मुकदमा	वनाप	पत्रावली संख्या	रान
तारीख हुकम	कार्यवाही विवरण		हस्ताक्षर पार्टी
	<p>व मौजा मनावपुरा पटवार हल्का वाली भीर में वर्गीत झाराजी सं. 1674/2, कित्त 01 रकबा 1.4364 है तथा रवाता संख्या 192 (नया) व पुराना (179) में वर्गीत झाराजी 1253/2, 1254/2, 1255/2, 1257/2, 1259/2, 1268/2, 1269/1, 1345/2, 1368/2, 1372/2, 1375/1, 1617/18, 1621/2, 1623/2, 1677/2, 1681/2, 1693/2, 1694/1, 1702/2, 1704/2, कित्त 20 कुल रकबा 9.7956 है।</p> <p>भूमी के अवलोकन से वाद भूख्त झाराजी प्राथीक अप्राथीकी संयुक्त रवातेदारी है जिन तक संयुक्त रवातेदारी भूमी का विधिगत विभाजन नही हो जाला तब तक प्रत्येक इंच का मालीक होता है, अप्राथीगण संयुक्त भूमी पर कब्जा करने को आभादा है, जिससे प्रथम दृष्ट्या प्राथी के पक्ष में होना प्रतीत होता है, इसी स्थिति में अप्राथीको को उक्त कृत्य करने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है मौजा वाली भीर के रवाता सं. नया 279 पुराना 271 में वर्गीत झाराजी व मौजा मनावपुरा के रवाता सं. 193 (नया) पुराना (177) में वर्गीत झाराजी व रवाता सं. (नया) 192 पुराना 179 में वर्गीत झाराजी के शिघ्र भूमी के मॉके व रेकर्ड की यथा रिधती व संयुक्त सम्पत्ति को नुर्द-नुर्द नही करने व नही बेचात करने हेतु कोचान करने हेतु अमरपत्त उभय पक्ष को ता फेसला मुकबलद निस्तारण तक उक्त रवाते में वर्गीत झाराजी पर रवाई विधे धारण जारी की जाती है, तहसीलदार लसाडिया को उक्त वर्गीत झाराजी पर रवाई विधे धारण का नोट अंगित करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली निर्वात दोकर संख्या से काम की जावे।</p> <p style="text-align: right;">निर्णय रहुके न्यायालय में सुनाया गया।</p>		